राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 734/2014/चित्तौड़गढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, चित्तौड़गढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स गुरूनानक एजेन्सीज़, चित्तौड़गढ़। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :19.02.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सिरोही (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **06.12.2013** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 59/20123–13/चित्तौड़गढ़ के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 21.12.2011 के जरिये बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति रू.67,722/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्धारण वर्ष 2009–10 का निर्धारण आदेश दिनांक 21.12.2011 को पारित कर, आलोच्य अवधि में बिक्री विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत रू.67,722/– शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा विशिष्ट नोटिस जारी करने के अभाव में आरोपित शास्ति को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे से व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने

लगातार.....

उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर, जारी अधिसूचना कमांक एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11—169 दिनांक 30.03.2011, जारी की गयी थी जिसे पुनः अधिसूचना कमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के जरिये अतिष्ठित कर, अधिसूचित किया गया है कि जिन व्यवहारियों द्वारा समस्त विवरणियां वर्ष 2009—10 के लिये 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी है तथा समस्त देय कर राशि दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दी गयी है, उन व्यवहारियों पर आरोपित शास्ति राशि व ब्याज राशि का अधित्यजन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है । इस संबंध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009—10 के लिये कथित देय कर को दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा करवाते हुये समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ. 12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.09.2011 से पूर्व समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने और समस्त देय कर वर्ष 2009—10 के लिये जमा कराये जाने के कारण इस संबंध में आरोपित शास्तियां व देय ब्याज की राशियां राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् अधित्यजित कर दिये जाने के कारण अब वसूली योग्य होती नहीं रह गयी हैं । कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 व अधिनियम की धारा 20 के तहत् Due tax जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरणियों में घोषित किया गया है वह दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी पर Due tax जमा करवाने हेतु शेष नहीं था । अतः अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के लाभ प्राप्त करने का प्रत्यर्थी व्यवहारी हकदार था जिसे उचित रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1859/2012/जोधपुर निर्णय दिनांक 04.06.2013 वा.क.अ., वृत्त—सी, जोधपुर बनाम् मैसर्स बेकर हस्ज सिंगापुर पीटीई/केयर्न एनर्जी इण्डिया, प्रा.लि., जोधपुर को प्रोद्धरित कर कथन किया कि हस्तगत प्रकरणों के तथ्य प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों से पूर्णतः

लगातार.....3

आच्छादित होने के कारण पारित अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के संबंध में में राज्य सरकार प्रारंभ में जारी की गयी अधिसूचना कमांक एफ12(25) एफडी/टैक्स/11–169 दिनांक 30.03.2011 को अतिष्ठित किया जाकर, पुनः राज्य सरकार द्वारा नयी अधिसूचना कमांक एफ. 12(92) एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 जारी की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2009–10 के लिये आरोपित शास्ति राशियों व ब्याज राशियों को उन व्यवहारियों के संबंध में, अधित्यजित कर दिया गया है, जिन्होनें वर्ष 2009–10 की समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी है तथा वर्ष 2009–10 का समस्त देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना कमांक 2011–46 दिनांक 15.09.2011 का मूल पाठ का अध्ययन करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:–" **In exercise of the powers conferred by Section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12(25) FD/Tax/11-169 dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealer who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 upto 30.09.2011.**

8. उक्त विभागीय परिपत्र के आलोक में, अपीलीय आदेश दिनांक 06.12.2013 अपास्त कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि निर्धारण अधिकारी इस तथ्य/बिन्दु का सत्यापन करें कि यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिकी विवरणियों में बहीयात के अनुसार देय कर राजकोष में उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना के निर्देशानुसार दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में, शास्ति आरोपित करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, परन्तु यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा नहीं करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में, निर्धारण अधिकारी शास्ति आरोपण से पूर्व विशिष्ट नोटिस जारी कर, व्यवहारी को सुनवायी का उचित अवसद प्रदान करने के उपारांत इस संबंध में नियमानुसार शास्ति आरोपण की कार्यवाही करें । फलस्वरूप, अपीलीय आदेश अपास्त कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

09. निर्णय प्रसारित किया गया ।

19.2.2015

(मदन लाल)
सदस्य